



## हैदराबाद से ठगों ने लगाई थी सूर्याश के खातों में सेंध

- क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने जाल बिछाकर अभियुक्त दबोचे
- नकली आधार कार्ड बनवाकर ठगों ने लिया डुप्लीकेट सिम
- गूगल में पढ़ी थी मसाला कारोबारी के जेल जाने की खबर
- ठगी की रकम से बुक कराए फ्लैट और करी मौज मस्ती
- ठगी का मामला खोलने वाली टीम को मिलेगा 50 हजार का इनाम

मसाला कारोबारी सूर्याश खरबंदा के खातों में हैदराबाद के ठगों ने सेंध लगाई थी। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ठगी के पूरे मामले का राजफाश करने के साथ ही दोनों ठगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीमों अभियुक्तों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं।

थाना नजीराबाद से दहेज हत्या के मामलों में गिरफ्तार पीड़ित सूर्याश खरबन्दा के जेल जाने के बाद उनके खाते से साइबर ठगों ने 95 लाख रुपये पार कर दिए थे। थाना नजीराबाद में मुकदमा दर्ज करके क्राइम ब्रांच की साइबर सेल के पास गया। पूरे मामले की जांच के लिये एक एक कड़ी को जोड़ने के बाद साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है।

### ऐसे हुई ठगी

सूर्याश खरबंदा के जेल जाने की खबर साइबर ठगों को गूगल पर मिली, इसके बाद ठगों ने मसाला कारोबारी की डिटेल निकाली और नकली आधार कार्ड बनाकर सूर्याश के मोबाइल नम्बर को पोर्ट करा लिया। इसके बाद ठगों द्वारा उनके बैंक ऑफ बड़ौदा और icici के बैंक खातों से चैक बुक जारी करवा कर लगभग 95 लाख रुपये की ठगी की गई।

जिसके सम्बन्ध में थाना नजीराबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 23/ 22 धारा 420/467/468/471 /120बी भादवि व 66 डी आईटी एक्ट की विवेचना थाना नजीराबाद से स्थानान्तरित होकर प्रभारी निरीक्षक अपराध शाखा राजकेसर यादव द्वारा की जा रही है।

साइबर सेल व सर्विलास सेल के संयुक्त सहयोग से अज्ञात ठगों का पता लगाकर हैदराबाद से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर नगर लाया गया है, जिन्हे मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। गिरफ्तारी के बाद अभि०गणों द्वारा घटना को स्वीकार किया गया है और ठगी के पैसे घूमने फिरने, खान-पान व रियल स्टेट फ्लैट एग्रीमेंट में एडवांस के रूप में खर्च कर दिया जाना बताया गया है। पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना ने पूरे मामले का राजफाश करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम को 50 हजार रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है।

### पकडे गए अभियुक्तगण

1 - यारा साई किरन पुत्र रामा लिंगा वारा प्रसाद नि० 301 सिरी साउद्धा राजीव नगर, एसआर नगर हैदराबाद उम्र- 30 वर्ष ।

2- निमग्दा फनी चौधरी पुत्र वेन्कट राव नि० 201 थर्ड फ्लोर, प्लाट नं० 85 प्रशान्ति गोल्डेन, एवेन्यू प्रशान्ति नगर थाना बचुपल्ली, हैदराबाद उम्र 35 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीम में उ०नि० श्री पुनीत तोमर (प्रभारी साइबर सेल), आरक्षी जितेन्द्र कुमार गर्ग (सर्विलांस सेल), आरक्षी प्रबल प्रताप सिंह (स्वाट टीम), आरक्षी शुभम ( साइबर सेल ), आरक्षी चालक-प्रवीण कुमार (अपराध शाखा)